न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 49 / 2024 (अपील)

जी.सी.एम.एस. नं. – 2024 / 144

उनवान

मदनमोहन दत्तक पुत्र धन्नालाल जाति नाथ योगी निवासी ग्राम ढोटी तहसील कनवास

(अपीलाण्ट)

बनाम

रामप्रसाद आत्मज रामदेव जाति बैरवा निवासी ग्राम रामनगर तहसील कनवास।

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– 1. श्री धनश्याम (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. सरकार पैरोकार

अपील विरूद्व आदेश न्यायालय तहसीलदार कनवास आदेश दिनांक 7.5.2024 अपील अ0धा0 225 रा0का0अधिनियम

निर्णय_ दिनांकः– 14/11/25

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किया बिना ही अपीलान्ट के विरूद्व आदेश पारित कर दिया जो कि सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार ग्राम ढोटी के खसरा न0 400 रकबा 0.82 है0 पर से बेदखल करने का आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है।

अधीन न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नही दिया कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट को ग्राम ढोटी स्थित आराजी आंवटन की गई थी उक्त आंवटन में अपीलान्ट को वर्तमान खसरा नम्बर 388 रकबा 0.31 है0 खसरा न. 389 रकबा 0.50 है0 कुल किता की 0.81 है0 आराजी के पूर्व खसरा नम्बर 310 मिन रकबा 5 बीधा आराजी आंवटन की गई जिसके पूर्व की ओर गत खसरा नम्बर 317 रकबा 5 बीधा के हाल खसरा नम्बर 400 रकबा 0.82 है0 बनाये गये जिस पर रेस्पोडेन्ट द्वारा भी भी काश्त नही की गई जा पडत पडी हुई है जबकि अपीलान्ट के पिता व उनके बाद अपीलान्ट आंवटन आराजी पर

अति. जिला कलक्टर
कोटा

काश्त कर जीवन यापन करते चले आ रहे है। गत खसरा नम्बर 310 रकबा 5 बीधा भूमि आंवटन हुई थी अपीलान्ट को ख.न. 310 मिन रकबा 5 बीधा पर मौके पर दखल खसरा नम्बर 317 मिन के पश्चिमी तरफ से लगवा दिया गया था तब से ही लगभग 50 वर्षो से अपीलान्ट मौके पर पिता के बाद से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा खेत पर तार फेसिंग की हुई है। किन्तु फिर भी अपीलांट को अतिक्रमी मान लिया जो त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर बेदखल करने का त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नही दिया कि रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज आराजी पर रेस्पोडेन्ट का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है इस प्रकार रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र मियाद होने के बावजूद भी आदेश प्रदान कर दिया जो कि त्रुटिपूर्ण है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय सव्यय खारिज फरमाया जावे।

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेन्ट की तलबी जर्ये रजिस्ट्रर्ड समन्न से की गई। रेस्पोडेन्ट जारी रजिस्ट्रर्ड समन्न व रसीदे पेश हुई। रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त हुआ । अधीपस्थ न्यायालय के रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। वकील अपीलांन्ट द्वारा दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये बिना ही त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय सव्यय खारित फरमावे।

पत्रावली में अभिभाषक अपीलान्ट की बहस सुनने के उपरान्त पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब के उक्त आराजी को आवंटन में प्राप्त होना अंकित किया है। अपीलाण्ट ने अपने जवाब में यह भी कथन किया है अपीलान्ट मदन मोहन के वर्तमान खसरा नम्बर 388 रकबा 0.31 है0,खसरा नम्बर 389 रकबा 0.50 है0 किता 2 कि 0.81 है0, आराजी के बन्दोबस्त 2058 से 2077 से पूर्व के खसरा नम्बर 310 मि.रकबा 5 बीधा आराजी थी,गत खसरा न. 310 मि0 के पूर्वी तरफ गत खसरा न. 317 मि0 थे ये रकबा 5 बीधा था प्रार्थी के गत खसरा न.317 रकबा 5 बीधा के नये खसरा न. 400 रकबा 0.82 है0 बनाये गये। प्रार्थी के द्वारा उसे आंवटित की गई आराजी पर अभी तक काश्त नही की गई है तथा पडत पडी हुई है। पत्रावली में उपलब्ध भू0अ0निरीक्षक की रिपोर्ट में ख. न. 400 रकबा 0.82 है0 के कुछ भाग पर फसल एवं शेष भूमि पडत है किन्तु खेत के लगवा सभी खेतो में सरसो की फसल खडी है जिससे स्पष्ट सीमाज्ञान किया जाना संभव नही है। सरसो की फसल कटते ही सीमाज्ञान कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जावेगी।

अति. जिला कलक्टर
कोटा

न्यायालय हाजा का यह मानना है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सभी तथ्यो को ध्यान में रख कर अपीलान्ट को विवादित आराजीयात् के संबध में साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिया जाकर विवादित आराजीयात् के संबध में निर्णय पारित किया जाना चाहिए था।

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने से प्रस्तुत अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आपस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार कनवास को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की किया जाता है कि पक्षकार को सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने का प्रर्याप्त अवसर देने हुए विवादित आराजी से संबधित रेकार्ड व तथ्यो का अवलोकन कर पुनःनिर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक .....14/11/25..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा

अति. जिला कलेक्टर
कोटा